न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—18/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।

———प्रार्थी

बनाम

1. राजपाल पुत्र श्री रामकुमार सहारण जाति जाट पता—1062, बस स्टैण्ड के पास गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
——(मूल ऋणी)
2. बनवारी लाल पुत्र श्री रामकुमार सहारण जाति जाट पता—1062, बस स्टैण्ड के पास गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। **——(सह ऋणी)**
3. कृष्णादेवी पत्नी श्री राजपाल जाति जाट पता—1062, बस स्टैण्ड के पास गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ **——(सह ऋणी)**
4. जसवन्त पुत्र श्री राजेश कुमार पता—1073, बस स्टैण्ड के पास गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। **——(गारण्टर)**

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियॉ का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांकः—03.10.2019

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 पूर्व में एयु फाईनेसर्स (इण्डिया) लि0 के नाम से नॉन बैंकिग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर था जिसका नाम एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके सीआईएन नं0 एल 36911 आरजे 1996 पीएलसी 011381 है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 के नाम से भारत में लधु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं0 एमयुएम 126 प्रदत किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 934 के धारा 42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारण में अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.

2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि0 जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वर्तमान में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर में स्थित व कार्यरत है। बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.03.2015 को एग्रीमेन्ट फॉर लॉन एण्ड गारंटी के तहत 8,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्न भुगतान सिक्यारिटी के रूप में सम्पत्ति आवासीय पटटा संख्या 1 बुक संख्या 15 संकल्प संख्या 4 साईज 2300 वर्गफुट यानि 100 गुणा 23 फुट जो ग्राम पंचायत नेठराना में स्थित है दिनांक 26.02.2012 को राजपाल पुत्र रामकुमार सहारण जाति जाट निवासी गांव नेठराना को जारी किया था जो दिनांक 16.07.2012 को सब–रजिस्ट्रार भादरा से पंजीकृत है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 राजपाल व अन्य अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भूगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के खाता को दिनांक 30.6.2018 को व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 6,94,930/–रूपये (अखरे छः लाख चौरानवे हजार नौ सौ तीस रूपये) तथा बकाया रकम, ब्याज, शास्तियॉ व अन्य खर्चे दिनांक 28.08.2018 तक शेष व देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 28.08.2018 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को जरिये रजिर्स्टड डाक द्वारा प्रेषित किया जो अप्रार्थीगण को दिनांक 01.9.2018 प्राप्त हो गया है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13 (2) के अन्तर्गत उक्त नोटिस की मांग सूचना पत्र समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 02.10.2018 को प्रकाशित करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने मियाद अवधि 60 दिवस समाप्ति के पश्चात भी प्रार्थी बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक को उसके पास बंधक रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना तथा दो अखबारो में मांग सूचना प्रकाशित होना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी उक्त सम्पति आवासीय पटटा संख्या 1 बुक संख्या 15 संकल्प सं. 4 साईज 2300 वर्गफुट यानि 100 गुणा 23 फुट जो ग्राम पंचायत नेठराना में स्थित है और दिनांक 26.02.2012 को राजपाल पुत्र रामकुमार सहारण जाति जाट निवासी गांव नेठराना को जारी किया था जिसका भौतिक कब्जा

जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) को उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official